<u>जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, वैशाली, हाजीपुर</u>

सत्र वाद संख्या 508 / 2001

दिनांक 16.06.2025 सभी चार अभियुक्तों में से अभियुक्त दिलीप पासवान, ईन्द्रजीत पासवान और जवाहर पासवान की ओर से प्रतिनिधित्व आवेदन दाखिल किया गया है, जिसे प्रचालन पर सिर्फ आज के लिए स्वीकृत किया जाता है। अभियुक्त शिवबच्चन पासवान के संबंध में दिनांक 07.04.2025 को एक आवेदन दिया गया है, इस संबंध में बचाव पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल करे और आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र दे। अभिलेख अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अभियोजन द्वारा साक्षी संख्या 8 के रूप में बालदेव पासवान को दिनांक 27.07.2016 को प्रस्तुत किया गया था और तब से कोई भी साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है। पूर्व में डॉक्टर आर0पी0 वर्मा, डॉक्टर मोइनुददीन अशर्फी चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल हाजीपुर तथा डॉक्टर इकबाल अहमद सर्जरी विभाग पी.एम.सी.एच. पटना के संबंध में स्मार पत्र जिलाधिकारी वैशाली के माध्यम से और अवर निरीक्षक विनय कुमार राम थाना औद्योगिक क्षेत्र वैशाली के संबंध में पुलिस अधीक्षक वैशाली को स्मार पत्र निर्गत किया गया था जिसकी तिथि दिनोंक 21.03.2023 थी। किन्तु अभी तक अभियोजन द्वारा इन साक्षियों को प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि यह वाद औद्योगिक थाना कांड संख्या 155 / 2001 से संबंधित है और इसमें धारा 302 भा0द0वि0 जैसा गंभीर अपराध करने का आरोप है। **कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि पुनः उपरोक्त साक्षियों पर जमानतीय वारंट निर्गत** करे। इस आदेश की **प्रति पुलिस अधीक्षक वैशाली तथा सिविल सर्जन वैशाली एवं अधीक्षक पी0एम0सी0एच0 पटना और सिविल सर्जन पटना एवं पुलिस अधीक्षक पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित** करें। अभियोजन एवं एस0एच0ओ0 थाना औद्योगिक क्षेत्र को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त शिवबच्चन पासवान के मृत्यु के संबंध में एक प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करें। **इस आदेश की एक प्रति डी0एल0एम0सी0 हाजीपुर को प्रेषित कर दे।** यह वाद माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा चिन्हित पुराने वादों की श्रेणी में आता है जिसमें त्वरित निष्पादन करने का आदेश प्राप्त है। अतः पीठलिपिक को निर्देशित किया जाता है कि इस वाद को **प्रत्येक 10 दिन के अंतराल** पर अभिलेख प्रस्तुत करे और **विद्वान अपर लोक अभियोजन को अभिलेख सीन कराये।**

दिनांक 27.06.2025 को अभियोजन साक्ष्य हेतु अभिलेख नियत किया जाता है।

लेखापित
(गौरव कमल)

अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय